Agro Service Centre, Government had to provide an interest subsidy to the Agro Entrepreneurs to the extent of the excess over 5 per cent charged by the banks upon all the loans for any activity ;

(b) whether it is also a fact that in subsequent stages, Government went on reducing the limit for the interest subsidy from 2.5 lakhs to 1.5 lakhs then to 1.00 lakh only and lastly, the provision of the interest subsidy was confined only for the loans for custom hiring activities; and

(c) if so, whether custom hiring was not an economically feasible and viable scheme, if so, what are the circumstances which forced Government to withdraw the facilities of Interest subsidy from other activities and to continue the facility for the custom hiring activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) Even at the time of formulation of the scheme it was intended that the facility of interest subsidy would be extended to loans not exceeding Rs. 1.5 lacs availed for the purpose of investment for setting up the Agro Service Centres; this position was made clear in the subsequent order issued in 1979.

Interest subsidy was available in respect of investment loans for all purposes including custom hiring activities, which an Agro Service Centre was to serve.

(c) Does not arise.

जनजातीय उप-योजना के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता

3293. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जनजातीय योजना के लिए कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवंटन में कोई वृद्धि की गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा कृष्ण मालवीय): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जनजातीय उप-योजना के लिए उत्तर प्रदेश को 102.44 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल राशि प्रदान की गई थी । ब्यौरे निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1986–87	31.10
1987–88	35.23
1988–89	36.11

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 1988–89 के दौरान विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्य को 69 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई थी ।

(ग) जी, हां । चालू वर्ष 1989–90 के दौरान जनजातीय उप-योजना के लिए उत्तर प्रदेश के 46 लाख रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि अनन्तिम रूप से आवंटित की गई है ।